

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा संख्या
89/17

रजू दिनांक
02.05.2017

अंतिम निर्णय दिनांक
23.02.2018

अनुवान

1. जगमाल पुत्र पांचाराम जाति मीणा निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

Page 3 of 4
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
राजस्व वाद संख्या :- 89/17
जगमाल बनाम ओमप्रकाश
निर्णय दिनांक :- 23.02.2018
वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति मीणा निवासी अजमेरीपुर तहसील बहरोड जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मुण्डावर। महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)
3. पांचा पुत्र डोबा जाति मीणा निवासी खलूडी मगरी तहसील सराडा जिला उदयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण


दावा तकासमा एवं हुकमईम्तनाई दवामी

- उपस्थिति:-
1. श्री रणवीर सिंह यादव वकील-वादी मुण्डावर जिला अलवर।
 2. श्री अखिलेश कौशिक वकील - प्रतिवादीगण राठी

1. ओमप्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति मीणा निवासी अजमेरीपुर तहसील बहरोड जिला अलवर।
 2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मुण्डावर। महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)
 3. पांचा पुत्र डोबा जाति मीणा निवासी खलूडी मगरी तहसील सराडा जिला उदयपुर राजस्थान।
- दिनांक:- 23.02.2018

वादीगण की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री अखिलेश कौशिक एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.02.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि-

आराजी ख0न0 909/36 रकबा 1.79 है0, 910/36 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान को मुताबिक कुरेजात



उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

अंतिम पचा डिक्री

दिनांक 23.02.2018

प्रस्ताव प्रदर्श-अ अंतिम डिक्री किया जाता है एवं उक्तानुसार ही अलग से बटा नम्बर अंकित किये जाकर उभयपक्षकारान के खातेजात कायम किये जावें। कुरेजात प्रस्ताव "प्रदर्श-अ" निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 23.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

 23.02.2018

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

प्रस्ताव प्रदर्श-अ अंतिम डिक्री किया जाता है एवं उक्तानुसार ही अलग से बटा नम्बर अंकित किये जाकर उभयपक्षकारान के खातेजात कायम किये जावें। कुरेजात प्रस्ताव "प्रदर्श-अ" निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 23.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)